विश्व स्तनपान सप्ताह

1-7 अगस्त 2021

bpni
putting child nutrition at the forefront of social change

IBFAN
WORLD BREASTFEEDING PROTECTION DAY
protecting breastfeeding
21 MAY

''स्तनपान के रक्षा की जिम्मेदारी '' आखिरकार किसकी है?

लक्ष्य :-

- डिब्बाबंद दूध एवं बोतल बनाने वाली कम्पनियों के गलत व्यापार के तरीकों के खिलाफ जागरूकता पैदा करना । यह कार्य हमें सरकारों में सामाजिक संगठनों में तथा स्वास्थ्य कर्मियों में करना है ताकि स्तनपान की रक्षा हो सके ।
- आई.एम.एस. एक्ट (IMS ACT) को प्रभावी ढंग से लागू करवाने की कोशिश की जाये

पृष्ठ भूमि

स्तनपान नवजात शिशुओं तथा छोटे बच्चों के जीवन को बचाने पोषण तथा विकास की आधार शिला है । यह माँ के स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। यह अल्पावधि तथा लम्बे समय के लिये सामाजिक स्वास्थ्य में भी मदद करता है । 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना और उसके बाद अनूपूरक आहार देना तथा स्तनपान 2 वर्ष का उससे अधिक समय तक जारी रखना, शिशुओं का सर्वोत्तम आहार है (Optimal Infant Feeding) धात्री माता (Breast Feeding Women) को सफलतापूर्वक स्तनपान करवाने हेतु 3 जगहों पर मदद चाहिये ।

1. समाज में डिब्बावट दूध वाली कम्पनियों के घातक प्रचार प्रसार से दूर रखना ।
2. कार्यस्थलों पर सहयोग ।
3. अस्पतालों में जहाँ वह डिलीवरी करवाने आती है ।

भारत वर्ष ने इस दिशा में कई नियम कानून बनाये है, परन्तु उनका कार्यान्वन नहीं होता है । (2) स्तनपान की सुरक्षा के लिये बनाये गये कानून कितने कारगर है , यह जानने के लिये एक 2 वर्षीय रिर्पोट देखें जो 'अंडर अटैक' 2021 के नाम से प्रकाशित हुई है। यह रिपोर्ट बताती है कि कम्पनियां किस तरह से IMS ACT की धज्जियां उड़ा रही है । कानून मौजूद है परन्तु उसके बारे में जागरूकता फैलाने तथा सशक्त कार्यान्वन की आवश्यकता है ।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे - 5

के अनुसार स्तनपान की वर्तमान दर (NFHS-5) इस रिर्पोट के अनुसार स्तनपान का आंकड़ा बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, जबकि यह सर्वविरित है कि नवजात शिशुओं, छोटे बच्चो तथा माँ के स्वास्थ्य के लिये स्तनपान आवश्यक है । (NFHS-5) फेज 1 (22 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशो) के आंकड़ों से पता चलता है कि 88% स्त्रियां अस्पतालों में डिलीवरी करवाती है इसके बावजूद सिर्फ **51%** एक घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करवा पाती है । **61.9%** 6 माह तक केवल स्तनपान करवाती है 56% को 6-8 माह के बीच समय से अनूपूरक आहार मिल जाता है । लेकिन सिर्फ 16.1% को 6-23 माह के दौरान पर्याप्त भोजन मिल पाता है (चित्र 1) इसीलिये 26.9% बच्चे कम वजन (Under weight) है, 31.9% बच्चों की लम्बाई कम है (Stunted), 18.1% कमजोर (Wasted) तथा 5.5% मोटापे (Obesity) से ग्रस्त है यद्यपि 88% मातायें अस्पताल में डिलीवरी करवाती है, परन्त सिर्फ 51% 1 घण्टे के अंदर स्तनपान शुरू करवा पाती है। अस्पताल में डिलीवरी करवाना, स्तनपान शुरू करवाने में बाधा बन जा रहा है। कोलोस्ट्म (पहला दूध) बच्चे का प्रथम टीकाकरण है और इसके देरी हो जाती है। वास्तविकता यह है पहले घंटे में स्तनपान करवाने के दर में 2.5% की गिरावट आ गई है, NFHS-4 (2015) की तुलना में । स्तनपान को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न स्तरों पर अनेक कारण है, जिन्हे ठीक करने की आवश्यकता है ।.

NFHS-5 फेज - 1 IYCF के आकड़े

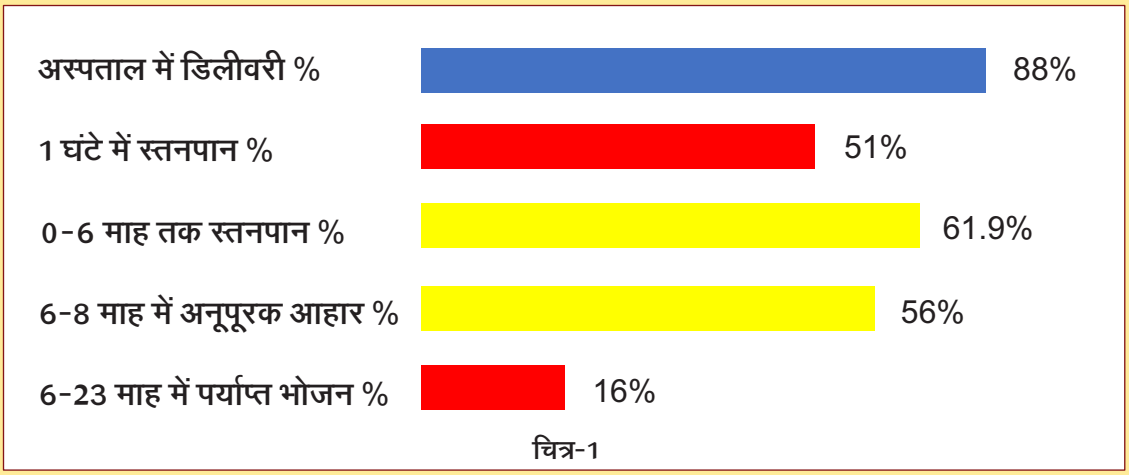

चित्र-1

अनुचित तरीको का कारण

स्तनपान में रूकावट के कई कारण है, जैसे :

1. प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी ।
2. डिब्बाबंद दूध का प्रचार प्रसार ।
3. कार्यस्थलों पर कोई मदद नही, जैसे पालनाघर (Creche) न होना ।
4. बड़ी संख्या में स्त्रियों का असंगठित क्षेत्रो में कार्य करना ।
5. कम्पनियां नये नये तरीको में अपना प्रचार प्रसार कर रही है, ताकि अभिभावकों एवं परिवार की सोच बदल जाये । यह कार्य सोशल मीडियो द्वारा खूब हो रहा है । इन सबसे स्तनपान की दर में गिरावट आती है ।
6. सीजेरियन आपरेशन के द्वारा बच्चों को माँ से अलग कर देना, खासतौर पर प्राईवेट अस्पतालों में, यह चिन्ता का विषय है । इससे स्तनपान बाधित होता है ।
7. प्रशिक्षित लोग प्राइवेट सेक्टर में भी कम है। उपर से डिब्बाबंद दूध का अस्पतालों में अनावश्यक प्रयोग एक बड़ी चुनौती है । इन सबके कारण माँ को कोई भी मदद नही मिलती और स्तनपान नही हो पाता है ।

भारतवर्ष में IMS ACT की हालत

इस कानून का कई तरह से उल्लंघन होता है। जैसे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम तथा कई तरह के माध्यम से भी डिब्बाबन्द दूध बेचा जाता है । BPNI ने 2 वर्ष में 33 कानून के उल्लंघन की घटनाये दर्ज की है यह सिर्फ एक बानगी मात्र है।

भारतवर्ष के पास स्तनपान को बचाने का सबसे मजबूत कानून है, परन्तु स्वास्थ्य केन्द्रो तथा समाज में इसका पालन नही होता है ।

IMS ACT के प्रावधान :-

कानून का उल्लंघन क्या है?

1. 2 साल तक के बच्चों को किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ किसी भी नाम से बेचना अपराध है।

Advertisement in a journal

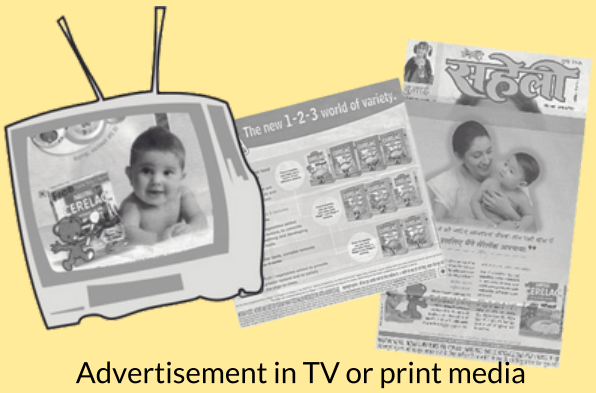

Advertisement in TV or print media

2. डिब्बाबन्द दूध, बोतल तथा शिशु आहार का किसी भी तरह से विज्ञापन करना अपराध है चाहे वह टी0वी0 पर हो, समाचार पत्रों, मैगजीन जर्नल, एस0एम0एस0 ,ई-मेल, रेडियो, पॅम्फलेट के माध्यम से हो ।

3. निर्माताओं या उसके कर्मचारी द्वारा डिब्बाबंद दूध, बोतल या शिशु आहार का किसी भी व्यक्ति को सैंपल बांटना या गर्भवती/धात्री माँ से सीधे मिलना अपराध है ।

Promoting on YouTube

Free Supplies

4. निर्मताओं/वितरकों/सप्लायर द्वारा इन चीजों को बेचने के लिये किसी व्यक्ति को किसी तरह का प्रोत्साहन जैसे छूट/उपहार देना अपराध है ।

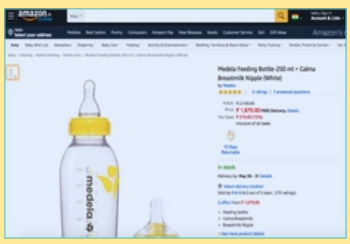

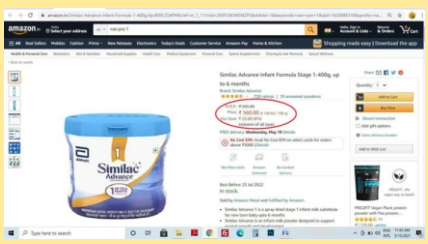

Sales on discount

कानून का उल्लंघन क्या है?

5. निर्माताओं/वितरकों/सप्लायर द्वारा इन चीजों की जानकारी या शैक्षणिक सामग्री माताओं या परिवारों में बांटना अपराध है ।

6. डिब्बाबंद दूध/बोतल/शिशु आहर के डिब्बों पर या साथ के कागज पर माताओं/ बच्चों की फोटो लगाना या कुछ भी लिखना जिससे इसकी बिक्री बढ़ जाये, अपराध है ।

7. अस्पतालों/नर्सिंग होम/दवा की दुकानों पर इन कम्पनियों के पोस्टर या उनके उत्पाद का प्रचार प्रसार करना अपराध है ।

Labelling and distribution of materials

8. निर्माताओं/वितरको/सप्लायर द्वारा स्वास्थ्यकर्मी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नगद या उपहार देना जिससे उसका उत्पाद बिके, अपराध है ।

9. निर्माताओं/वितरकों/सप्लायर द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों के लिये आयोजित शैक्षणिक गतिविधि/सेमीनार/संगोष्ठी/टूर/फैलोशिप में पैसा देना अपराध है ।

Sponsorship of health workers

10. निर्माताओं/वितरकों/सप्लायर द्वारा बिक्री की मात्रा के आधार पर अपने कर्मचारियों को कमीशन देना अपराध है ।

कार्य करने हेतु सुझाव :-

सरकारे क्या कर सकती है?

- हर राज्य की IMS ACT के सम्बन्ध में निगरानी हो । इसकी वार्षिक रिर्पोट तैयार करने का खर्च दें।
- भारत सरकार के आदेश से राज्य सरकारों ने CMO को अधिकृत अधिकारी (Authorised Officers) बनाया गया है FSSAI ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (FSO) को IMS ACT के लागू करने की जिम्मेदारी दी है। राज्य सरकारो को CMO तथा FSO की ट्रेनिंग करवानी चाहिये ताकि IMS ACT ठीक से लागू हो ।
- जो लोग कानून का उल्लंघन करे, उनकी सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच हो तथा जरूरत पड़ने पर मुकदमा किया जाये ।
- स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उल्लंघन की अनिवार्य रूप से रिर्पोटिंग की जाये । इसके लिये 'स्तनपान सुरक्षा' मोबाइल एप का उपयोग करें ।
- हर अस्पताल में एक 'प्रशिक्षित स्तनपान काडसिलर' हो जो स्तनपान की सुरक्षा तथा मदद करें ।
- हर जिले में आई0एम0एस0 कानून के बारे में जागरूकता सेमीनार किये जाये ।
- आम जनता को आई0एम0एस0 कानून की जानकारी देने हेतु प्रचार सामग्री (IEC Material) तैयार की जाये ।

स्वास्थ्यकर्मी क्या कर सकते है ? :-

- ये लोग तथा इनके संगठनों को ईमानदारी के साथ कानून का पालन करना चाहिये ।
- किसी भी डिब्बाबंद दूध की कम्पनी या उनके मुखौटा संगठनो से किसी भी तरह का स्पांसरशिप/उपहार न ले ।

सामाजिक संगठन क्या कर सकते है ? :-

- स्वास्थ्यमंत्री को इस कानून को लागू करने के लिये चिट्टी लिखे/ट्वीट करें/फेसबुक /इंस्टाग्राम पर लिखे ।
- BPNI के मानीटर/स्वयंसेवक बने ।
- उल्लंघन होने पर 'स्तनपान सुरक्षा एप' पर जानकारी है ।
- अपने इलाके में सेमीनार करे जिसमें BPNI की PPT/Leaflet का इस्तेमाल करें ।

RESOURCES
Visit BPNI Website

Indian law to Protect Breastfeeding -spoken tutorial on YouTube

References

[1] https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/breastfeeding-and-covid-19
[2] India Policy Report 2018 : https://www.worldbreastfeedingtrends.org/uploads/country-data/country-report/WBTi-India-Report-2018.pdf
[3] https://www.bpni.org/world-breastfeeding-protection-day/
[4] The Feeding Fiasco Phase-I - The Sunday Guardian Live by Dr Arun Gupta https://www.sundayguardianlive.com/news/feeding-fiasco-phase

bpni
putting child nutrition at the forefront of social change

Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI)
Address: BP-33, Pitampura, Delhi 110 034. Tel: +91-11- 42683059

bpni@bpni.org http://www.bpni.org
@bpniindia @bpni.org
https://www.youtube.com/user/bpniindia
idecide4me

ABOUT BPNI

The Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI) is a 29 years old registered, independent, non-profit, national organisation that works towards protecting, promoting and supporting breastfeeding and appropriate complementary feeding of infants and young children. BPNI works through policy analysis, advocacy, social mobilization, information sharing, education, research, training and monitoring the company compliance with the IMS Act. BPNI is the Regional Coordinating Office for International Baby Food Action Network (IBFAN), South Asia. BPNI also serves as the global secretariat for World Breastfeeding Trends Initiative (WBTi) programme, that analyses policy & programmes and galvanises action at country level in different regions of the world.

BPNI's ETHICAL POLICY

BPNI does not accept funds or any support from the companies manufacturing baby foods, feeding bottles or infant feeding related equipments. BPNI does not associate with organizations having conflicts of Interest..BPNI request everyone to follow this ethical stance while celebrating World Breastfeeding Week.

Written and edited by: Yashika Joshi, Nupur Bidla and Arun Gupta
Reviewed by : Rita Gupta
Designed by : Amit Dahiya
Acknowledgements
BPNI thanks the members of the central coordination committee for review, inputs and comments.

हिन्दी अनुवाद : डा. बी.बी. गुप्ता, डा. के.पी. कुशवाहा

सहयोग : डा. महिमा मित्तल, श्री प्रवीण दूबे एवं यूनिसेफ (उ0प्र0)